5 दृढ़ इच्छाशक्ति, सेवा और निष्ठा के बल पर सफल

6 अर्ध-नारीश्वर-शिव का भौतिक महत्व

7 बिना तालाब के पर्यावरण का संतुलन कैसे?

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 41 प्रति सोमवार, 16 फरवरी 2026 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

छत्तीसगढ़ के वन एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप के भ्रष्ट रवैये से वन एवं परिवहन विभाग के सुशासन पर लगा बट्टा

क्या दिव्यांग कर्मचारी को पीटने वाले को मंत्रिमंडल से किया जाना चाहिए बर्खास्त?

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

छत्तीसगढ़ के वन, पर्यावरण, परिवहन मंत्री के भ्रष्ट तरीक़ों ने सरकार के काम काज पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है, खासतौर पर कश्यप द्वारा अपने विभाग से सीधे आदिवासियों की उपेक्षा की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक वो पूर्व मुख्यमंत्री से लगातार मुलाकातें कर रहे हैं। साथ ही चुपके से मुख्यमंत्री को अस्थिर कर स्वयं उस गद्दी पर आसीन होना चाहते है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सज्जनता का उठाने की कोशिश की जा रही है। सरकार भी अपने मंत्री के भ्रष्टाचारों के आगे आखिर चुप्पी साध रखी है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों वन और परिवहन विभाग को लेकर कई तरह की चर्चाएं और आरोप-प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं। राज्य के वन एवं परिवहन मंत्री

केदार कश्यप की कार्यशैली और विभागीय निर्णयों को लेकर राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि शासन-प्रशासन की पारदर्शिता और राजनीतिक स्थिरता से भी जुड़े हैं। वन विभाग जैसे संवेदनशील विभाग का दायित्व केवल वृक्षारोपण या संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आदिवासी आजीविका, पर्यावरणीय संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से भी जुड़ा है। यदि राज्य में अवैध कटाई, पौधों की बिक्री या विभागीय स्तर पर अनियमितताओं की चर्चा होती है, तो स्वाभाविक है कि जनता पारदर्शी जांच और स्पष्ट जवाब की अपेक्षा करेगी। ऐसी परिस्थितियों में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह तथ्यों को सार्वजनिक करे और यदि आवश्यक हो तो स्वतंत्र जांच की प्रक्रिया अपनाए। इसी प्रकार परिवहन विभाग राज्य के राजस्व का प्रमुख स्रोत है। इस विभाग में पारदर्शिता, ऑनलाइन परमिट प्रणाली, डिजिटल भुगतान और निगरानी तंत्र का मजबूत होना आवश्यक है। (शेष पेज 2 पर)

मीठी क्रांति मधुमक्खी पालन से बदल रहा प्रदेश के किसानों का भाग्य

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का प्रशंसनीय प्रयास

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई "मीठी क्रांति" योजना अब प्रदेश के लघु, सीमांत और भूमिहीन किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। यह योजना किसानों को कम लागत में अधिक लाभ देने वाला वैकल्पिक व्यवसाय बनकर उभरी है, जो ना केवल आर्थिक समृद्धि बढ़ा रही है, बल्कि युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान कर रही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 2382 किसान इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। योजना के तहत मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ-साथ ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन में भी उल्लेखनीय योगदान हो रहा है। (शेष पेज 2 पर)

छग; महंत या सिंहदेव के हाथ में हो कमान तो वापसी कर सकती है कांग्रेस

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ में मिशन 2028 के लिए अभी लगभग तीन साल का समय है। किसी भी पार्टी को खड़ा होने में और अपना जनाधार वापस करने में इतना समय काफी होता है। छत्तीसगढ़ में यह स्थिति सटीक बैठ रही है। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बुरे दौर से गुजर रही है। धीरे-धीरे कांग्रेस का जनाधार घटता जा रहा है। (शेष पेज 6 पर)

खंडेलवाल के दूरदर्शी नेतृत्व में हो रहा मप्र भाजपा में संगठनात्मक पुनर्निर्माण

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर संगठनात्मक मजबूती और रणनीतिक स्पष्टता के साथ नए युग में प्रवेश कर चुकी है। इस परिवर्तन का केंद्र बिंदु हैं प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, जिनके कुशल, संतुलित और निर्णायक नेतृत्व में भाजपा ने "मिशन 2028" की ठोस और व्यावहारिक जमावट शुरू कर दी है। लगभग छह माह के अपने निर्विवादित कार्यकाल में खंडेलवाल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे केवल संगठन के शीर्ष पद पर आसीन नेता नहीं, बल्कि पार्टी की जड़ों को मजबूत करने वाले संवेदनशील नेतृत्वकर्ता हैं। किसी भी राजनीतिक संगठन की वास्तविक शक्ति उसका कार्यकर्ता और स्थानीय नेतृत्व होता है। पिछले कुछ वर्षों से मध्यप्रदेश भाजपा में यह महसूस किया जा रहा था कि संगठन के निचले और मध्य स्तर पर असंतोष पनप रहा है। कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं की नाराजगी, संवाद की कमी और अपेक्षित सम्मान न मिल पाने की भावना धीरे-धीरे संगठनात्मक चुनौती बनती जा रही थी। (शेष पेज 3 पर)

कटघरे में छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा और डीजीपी अरुण देव गौतम की कार्यशैली।

पढ़ें पेज 5 पर

केदार कश्यप की कार्यशैली पर उठे सवाल

(पेज 1 का शेष)

यदि विपक्ष या अन्य राजनीतिक दल यह आरोप लगाते हैं कि विभाग के माध्यम से अवैध वसूली हो रही है, तो इन आरोपों का समाधान केवल राजनीतिक बयानबाजी से नहीं, बल्कि दस्तावेजी प्रमाण और प्रशासनिक कार्रवाई से संभव है।

राजनीतिक स्थिरता पर प्रश्नचिह्न

राजनीतिक स्तर पर एक और प्रश्न यह उठता है कि क्या सत्तारूढ़ दल के भीतर मतभेद या अंतर्विरोध हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात जैसी खबरें राजनीतिक अटकलों को जन्म देती हैं। हालांकि भारतीय लोकतंत्र में विभिन्न नेताओं के बीच मुलाकातें असामान्य नहीं हैं, परंतु यदि इन मुलाकातों को लेकर समर्थन या दल-बदल की चर्चाएँ उठती हैं, तो इससे राजनीतिक स्थिरता पर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चल रही सरकार के लिए यह समय प्रशासनिक मजबूती और आंतरिक अनुशासन का है। यदि सरकार के किसी मंत्री को लेकर लगातार आरोप सामने आते हैं, तो मुख्यमंत्री कार्यालय की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। चुप्पी या विलंबित प्रतिक्रिया राजनीतिक विपक्ष को और अधिक मुखर बना सकती है। वहीं, यदि आरोप निराधार हैं, तो स्पष्ट और तथ्यात्मक स्पष्टीकरण देकर स्थिति साफ करना भी उतना ही जरूरी है।

केदार कश्यप ने चुनाव आयोग को भी रखा था अंधेरे में

नारायणपुर से विधायक और लंबे समय तक मंत्री रहे केदार कश्यप द्वारा चुनावी हलफनामों में घोषित संपत्ति के आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति लगभग 1.91 करोड़ रुपये घोषित की थी। हालिया चुनावी हलफनामे में यह आंकड़ा घटकर लगभग 1.60 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है। यानी पाँच वर्षों में करीब 29 लाख रुपये की कमी दिखाई गई है। यह तथ्य अपने आप में असामान्य प्रतीत हो सकता है, क्योंकि सामान्य धारणा यह रहती है कि लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहने वाले जनप्रतिनिधियों की संपत्ति में वृद्धि होती है। हालांकि, किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले यह समझना जरूरी है कि संपत्ति का मूल्यांकन कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे बाजार दरों में उतार-चढ़ाव, कर्ज या देनदारियाँ, संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन, या नकद और बैंक जमा की संरचना में बदलाव। 2018 के हलफनामे में लगभग 28.22 लाख रुपये नकद और 29.47 लाख रुपये बैंक में जमा बताए गए थे। हालिया हलफनामे में नकद राशि घटकर 2 लाख रुपये रह गई है, जबकि बैंक जमा 36.59 लाख रुपये दर्शाया गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि नकद संपत्ति में कमी और बैंकिंग माध्यमों में वृद्धि हुई है। वाहनों के मामले में पहले केवल एक ट्रैक्टर का उल्लेख था, जबकि बाद के विवरण में ट्रैक्टर के साथ एक इनोवा वाहन का उल्लेख भी मिलता है। आभूषणों में पाँच वर्षों में सीमित वृद्धि दर्ज की गई है स्वयं के पास 90 ग्राम से बढ़कर 100 ग्राम सोना और पत्नी के पास 188 ग्राम से बढ़कर 200 ग्राम सोना। अचल संपत्ति के रूप में 18.04 एकड़ भूमि का विवरण दिया गया है, जिसकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 86 लाख रुपये बताई गई है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था पर उठे सवाल

इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि संपत्ति में वृद्धि के बजाय कमी का दावा किया गया है। ऐसे मामलों में आवश्यक है कि विश्लेषण केवल कुल राशि पर आधारित न हो, बल्कि देनदारियों, बाजार मूल्य और संपत्ति के प्रकार में बदलाव को भी ध्यान में रखा जाए। चुनावी हलफनामे पारदर्शिता का एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं, परंतु उनकी सत्यता का स्वतंत्र सत्यापन भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए आवश्यक है। छत्तीसगढ़ जैसे वन-समृद्ध राज्य में वन विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य के बड़े भूभाग में वन क्षेत्र फैला है, जो पर्यावरणीय संतुलन, वनवासियों की आजीविका और जैव विविधता से सीधे जुड़ा है। यदि वन प्रबंधन, पौधरोपण, नर्सरी क्रय या वन उत्पादों की बिक्री में अनियमितताओं की आशंका व्यक्त की जाती है, तो यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं रह जाता, बल्कि पर्यावरणीय और सामाजिक चिंता का विषय बन जाता है।

परिवहन विभाग में चरम पर पहुंचा भ्रष्टाचार

मंत्री केदार कश्यप ने परिवहन विभाग जैसे राजस्व के प्रमुख स्रोत में भी भ्रष्टाचार का खूंटा लगा दिया है। ओवरलोडिंग, परमिट व्यवस्था, चेकपोस्ट संचालन और आरटीओ प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। आज के डिजिटल युग में ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन परमिट प्रणाली और डिजिटल भुगतान जैसे उपाय भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम कर सकते हैं। यदि इन व्यवस्थाओं को सख्ती से लागू किया जाए, तो विभागीय पारदर्शिता में उल्लेखनीय सुधार संभव है।

मंदिर निर्माण में भी भ्रष्टाचार कर गये कश्यप

दंतेवाड़ा जिले में प्रस्तावित "वन मंदिर" परियोजना भी चर्चा का विषय रही है। इसे प्रकृति संरक्षण और सांस्कृतिक आस्था के समन्वय के रूप में प्रस्तुत किया गया। नक्सल-प्रभावित क्षेत्र में पर्यटन और विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के दृष्टिकोण से ऐसी परियोजनाएँ महत्वपूर्ण हो सकती हैं। परंतु किसी भी सार्वजनिक परियोजना की तरह इसकी लागत, टेंडर प्रक्रिया, सामग्री क्रय और गुणवत्ता नियंत्रण को लेकर पारदर्शिता अपेक्षित है।

प्रशासनिक पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता

यदि किसी स्थानीय संगठन या राजनीतिक समूह द्वारा परियोजना में अनियमितता का आरोप लगाया जाता है, तो उसका समाधान तथ्यों और जांच के माध्यम से ही संभव है। स्वतंत्र जांच, सामाजिक लेखा परीक्षा और सार्वजनिक रिपोर्टिंग से न केवल परियोजना की विश्वसनीयता बढ़ती है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का विश्वास भी मजबूत होता है। राजनीतिक जवाबदेही का अर्थ केवल आरोप-प्रत्यारोप नहीं, बल्कि संस्थागत पारदर्शिता है। जनप्रतिनिधियों द्वारा संपत्ति की घोषणा लोकतंत्र में एक सकारात्मक पहल है, परंतु इसके साथ स्वतंत्र सत्यापन और नियमित ऑडिट की व्यवस्था भी आवश्यक है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में जब भी किसी मंत्री, विधायक या परियोजना को लेकर प्रश्न उठते हैं, तो उनका समाधान राजनीतिक बयानबाजी से नहीं, बल्कि दस्तावेजी प्रमाण, प्रशासनिक पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच से होना चाहिए। यही लोकतांत्रिक मर्यादा और सुशासन का आधार है। यह कहना उचित होगा कि किसी भी राज्य की प्रगति केवल योजनाओं की घोषणा से नहीं, बल्कि उनकी पारदर्शी और ईमानदार क्रियान्वयन से तय होती है। जनता के प्रति जवाबदेही, संस्थागत निगरानी और तथ्य-आधारित विमर्श ही स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है।

जगदलपुर सर्किट हाउस के कर्मचारी खितेंद्र पांडेय को पीटा

मामला जगदलपुर सर्किट हाउस का है। जहां कश्यप ने वहां के कर्मचारी के उपर जूता उठाया, मां-बहन की गालियां दी और कॉलर पकड़कर 2-3 थप्पड़ मारे पीड़ित खितेंद्र पांडेय ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मंत्री के सुरक्षाकर्मी बुलाकर कमरे में ले गए। मंत्री ने कमरे का ताला समय पर नहीं खोलने की बात पर नाराज होकर मारपीट की।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्थायी परिवर्तन और किसानों के जीवन स्तर में सुधार का प्रतीक बनी मीठी क्रांति

(पेज 1 का शेष)

लघु और सीमांत किसान भी कर सकते हैं व्यवसाय प्रारंभ

उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मधुमक्खी पालन ऐसा व्यवसाय है जिसे लघु, सीमांत और भूमिहीन किसान भी बिना अतिरिक्त भूमि के आसानी से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए केवल 5 से 10 मधुमक्खी बक्सों (बी-बॉक्स) की आवश्यकता होती है। कम निवेश और सरल प्रक्रिया के कारण महिलाएँ और बेरोजगार युवा भी इस व्यवसाय को अपनाकर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। विभाग की ओर से दिए जा रहे अनुदान (सब्सिडी) ने इसे और सुलभ बना दिया है। मधुमक्खी पालन में निवेश कम होने के बावजूद किसान शहद, मोम, रॉयल जेली और प्रोपोलिस जैसे बहुमूल्य उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मधुमक्खियों द्वारा की जाने वाली परागण क्रिया फल और सब्जियों की पैदावार में भी उल्लेखनीय वृद्धि करती है। आम, अमरुद, सूरजमुखी, धनिया, सब्जी फसलें और जंगली फूल मधुमक्खियों के लिए उत्तम पुष्प स्रोत माने जाते हैं।

योजना के तहत अनुदान और वित्तीय सहायता

मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत कई वित्तीय सहायता प्रावधान किए गए हैं। राज्य योजना के अंतर्गत भी मधुमक्खी छाते और पेटिका पर 50 प्रतिशत या 1,000 जो भी कम हो, उतनी राशि अनुदान के रूप में दी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि लाभार्थी न्यूनतम 5 और अधिकतम 50 मधुमक्खी छातों और पेटिकाओं के लिए अनुदान के पात्र हैं।

प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन

मधुमक्खी पालन केवल शहद उत्पादन तक सीमित नहीं है। यह व्यवसाय किसानों के लिए बहुपक्षीय लाभ प्रदान करता है। योजना के तहत किसानों को मधुमक्खी पालन की वैज्ञानिक पद्धति पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में शामिल हैं। मधुमक्खियों की देखभाल और पालन तकनीक। शहद, मोम, रॉयल जेली और प्रोपोलिस का उत्पादन और भंडारण। फूलों और फसलों के परागण से पैदावार बढ़ाने की तकनीक। बाजार में उत्पादों की बिक्री और विपणन के तरीके। इन प्रशिक्षणों से किसान न केवल उत्पादक बन रहे हैं, बल्कि उद्यमी की भूमिका भी निभा रहे हैं।

महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष अवसर

कम श्रम और सरल प्रक्रिया के कारण यह व्यवसाय महिला और बेरोजगार युवाओं के लिए आसान और लाभकारी साबित हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई महिलाएँ इस योजना के तहत मधुमक्खी पालन को अपनाकर अपने परिवार की आय में योगदान कर रही हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि मधुमक्खी पालन के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। यह व्यवसाय किसानों को परंपरागत खेती के साथ-साथ अतिरिक्त आय अर्जित करने का मौका देता है। इससे ग्रामीण समुदाय में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण भी बढ़ रहा है।

आय और उत्पादन में लाभकारी

मधुमक्खी पालन से केवल शहद ही नहीं, बल्कि कई अन्य बहुमूल्य उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। मधुमक्खी मोम, मोमबत्तियाँ और अन्य घरेलू व औद्योगिक उपयोग में। रॉयल जेली स्वास्थ्यवर्धक पोषण और औषधीय उपयोग, प्रोपोलिस एंटीबैक्टीरियल और औषधीय गुणों वाला उत्पाद। मधुमक्खियों द्वारा किए गए परागण से फसल पैदावार में वृद्धि होती है। इससे आम, अमरुद, सूरजमुखी, धनिया और अन्य सब्जी फसलों की उपज भी बढ़ती है। वैज्ञानिक पद्धति अपनाने से किसान अधिक गुणवत्ता और अधिक मात्रा में उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में लाभान्वित किसान

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष में 2382 किसानों को अनुदान देकर लाभान्वित किया गया है। इसमें लघु, सीमांत और भूमिहीन किसान शामिल हैं, जिन्होंने न्यूनतम 5 और अधिकतम 50 मधुमक्खी छातों और पेटिकाओं के साथ व्यवसाय प्रारंभ किया है। यह आंकड़ा इस बात का संकेत है कि योजना प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है और ग्रामीण स्तर पर आर्थिक बदलाव ला रही है। योजना से न केवल आय में वृद्धि हुई है, बल्कि किसान आत्मनिर्भर होकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान देने लगे हैं।

मधुमक्खी पालन तक सीमित नहीं

मधुमक्खी पालन के माध्यम से "मीठी क्रांति" ने मध्यप्रदेश के किसानों के जीवन में नई दिशा दी है। यह योजना केवल आय बढ़ाने का साधन नहीं है, बल्कि ग्रामीण समुदाय में स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने का भी कार्य कर रही है। लघु, सीमांत और भूमिहीन किसान भी इस व्यवसाय को बिना अतिरिक्त भूमि के शुरू कर सकते हैं। सरकार की ओर से दिया जा रहा अनुदान, प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन इसे और सुलभ बनाते हैं। किसानों के लिए यह व्यवसाय आर्थिक रूप से लाभकारी होने के साथ-साथ कृषि उत्पादन में सुधार और पैदावार बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मीठी क्रांति केवल मधुमक्खी पालन तक सीमित नहीं, बल्कि यह प्रदेश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्थायी परिवर्तन और किसानों के जीवन स्तर में सुधार का प्रतीक बन चुकी है।

धामी सरकारः उत्तराखंड में विकास की गति तेज

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह. देहरादून। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देहरादून में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रही सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने सीएम धामी को भविष्य में भी देवभूमि को विकास के पथ पर आगे ले जाने की शुभकामनाएं दी हैं। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि वो आज देवभूमि उत्तराखंड में आए हुए हैं। यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पूरी ताकत के साथ दिन रात प्रदेश वासियों की सेवा में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। इससे साफ है कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शानदार काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सीएम धामी को शानदार कार्य के लिए बधाई देते हुए, भविष्य में भी देवभूमि को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। बता दें, जेपी नड्डा भाजपा के निर्वतान राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ ही, केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जिला पत्रकार संघ ने कलेक्टर एसपी को सौपा ज्ञापन, एफआईआर दर्ज कराने की मांग

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। नगर के शीतला माता मंदिर के पास 10 फरवरी की रात्रि को हुई लूट एवं मारपीट की घटना की एफआईआर 2 दिन बीत जाने के बावजूद भी थाना प्रभारी द्वारा नहीं लिखी गई जबकि 12 फरवरी को जिला पत्रकार संघ ने इस शर्मसार और निंदनीय घटना का विरोध करते हुए तथा थाना प्रभारी द्वारा लूट की घटना में एफआईआर नहीं करने पर हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन एवं एसपी शशांक से मुलाकात कर घटनाकम बताया और सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई। इसके बाद कलेक्टर एसपी ने समस्त मौजूद पत्रकारों के समक्ष कहां की थाने में जाओं लूट हुई है तो एफआईआर जरूर होगी किन्तु वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के बाद भी थाना प्रभारी द्वारा पत्रकार को करीब 2 घंटे थाने में बैठाकर रखा और लूट की वारदात पर एफआईआर न करते हुए मारपीट गाली गलोच में एफआईआर दर्ज कराने पर अडे रहें और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को मनगढंत कहानी सुनाते नजर आयें।

दो दिन में 5 घंटे बैठाया थाने में

मंगलवार की रात्रि करीब 10:53 पर पत्रकार के साथ हुई लूट एवं मारपीट की घटना को लेकर जब एफआईआर दर्ज कराने गए तो थाना प्रभारी ने 3 घंटे तक अपनी कहानी सुनाकर बैठाये रखा और एफआईआर दर्ज नहीं की इसके बाद कलेक्टर एसपी को पत्रकारों द्वारा ज्ञापन सौपने के बाद वरिष्ट अधिकारीयों के कहने पर टिमरनी थाने एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे तो थाना प्रभारी दोपहर 3 बजे से गुमराह करते रहें और 05:30 से 07:30 तक एफआईआर दर्ज कर रहें है कहकर बैठाये रखा लेकिन बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई।

डीजीपी से हरदा पत्रकार मुलाकात कर करेंगे शिकायत

जिले के पत्रकारों में साथ पत्रकार के साथ हुई लूट की घटना को लेकर काफी रोष जताते हुए थाना प्रभारी की कार्यप्रणाली से नाराज होकर तथा नगर में लगातार हो रहीं 1 दर्जन से अधिक चोरियों में किसी एक का भी खुलासा नहीं होने पर जिला पत्रकार संघ पुलिस मुख्यालय भोपाल में डीजीपी से मुलाकात कर पत्रकार के साथ हुई घटना का विरोध करते हुए थाना प्रभारी की कार्यप्रणाली से अवगत कराकर एफआईआर दर्ज कराई जाने की मांग की जायेगी और दोषी थाना प्रभारी को टिमरनी नगर से हटाये जाने की मांग की जायेगी।

वन्यजीव हमारी प्रकृति की अमूल्य धरोहरः मुख्यमंत्री साय

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि वन्यजीव हमारी प्रकृति की अमूल्य धरोहर हैं और उनके संरक्षण–संवर्धन के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए सतत निगरानी, अवैध गतिविधियों पर रोक तथा उनकी सुरक्षा के लिए जनभागीदारी को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही, वनों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ाने और युवाओं की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री ने न्यूनतम हस्तक्षेप के सिद्धांत को अपनाते हुए अत्यावश्यक कार्यों को ही वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास में बिना किसी छेड़छाड़ के पूर्ण करने पर बल दिया। उन्होंने सह-अस्तित्व के सिद्धांतों के अनुरूप सभी गतिविधियों के संचालन की बात कही। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की 16वीं आयोजित बैठक में यह बात कही। बैठक में बोर्ड की 15वीं बैठक के पालन प्रतिवेदन तथा नवीन एजेंडों पर चर्चा उपरांत प्रस्तावों को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के निर्णय हेतु प्रेषित करने पर सहमति बनी। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति (Standing Committee of State Board for Wildlife) के गठन को मंजूरी दी गई। स्थायी समिति का गठन वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में किया जाएगा, जिसमें 11 अन्य सदस्य शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि वन्य प्राणियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होने वाले कार्यों के प्रस्तावों पर राज्य वन्यजीव बोर्ड का अभिमत अनिवार्य होता है। बोर्ड की बैठकों के बीच अधिक अंतराल के कारण प्रस्तावों की स्वीकृति में विलंब की स्थिति बनती है। स्थायी समिति के गठन से वैधानिक मंजूरियों के त्वरित निपटान तथा वन्यजीव प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के शीघ्र निराकरण में सहायता मिलेगी। बैठक में उदंती–सीतानदी टाइगर रिजर्व अंतर्गत बरबांध जलाशय में बांध एवं नहरों के जीर्णोद्धार एवं नवीन कार्य, पीएम जनमन योजना के अंतर्गत कबीरधाम जिले के कवर्धा वनमंडल में पंडरीपानी मेन रोड से सौरु तक मार्ग मजबूतीकरण, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने से संबंधित 6 प्रस्ताव, सेमरसोत अभ्यारण्य में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने, उदंती–सीतानदी टाइगर रिजर्व में सीआरपीएफ कैंप की स्थापना तथा उदंती–सीतानदी टाइगर रिजर्व में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के प्रस्तावों का अनुमोदन कर उन्हें राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्वीकृति हेतु प्रेषित करने पर सहमति दी गई।

साईंखेड़ा जनपद पंचायत में 'ममता' के नाम पर लाखों की संदिग्ध निकासी

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. गाडरवारा। जनपद पंचायत साईंखेड़ा की कई ग्राम पंचायतों में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक ममता अहिरवार नामक महिला के खाते में पंचायत से जुड़े लाखों रुपये के बिल और वाउचर पास किए जाने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। बताया जा रहा है कि वेंडर आईडी के माध्यम से या पंचायत स्तर पर मिलीभगत के चलते शासन की राशि बार-बार एक ही खाते में ट्रांसफर की जा रही है, जबकि जमीनी स्तर पर कार्य दिखाई नहीं दे रहा। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि बिल-वाउचर की संख्या असामान्य रूप से अधिक है, जिससे पूरे मामले पर संदेह गहरा गया है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह सीधे-सीधे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने का मामला बनता है। एक स्थानीय नागरिक ने नाम न छापने की शर्त पर कहा "लगता है पंचायत में कुछ लोगों को 'ममता' से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है, तभी बिना ठोस जांच के भुगतान किए जा रहे हैं।"

खंडेलवाल के दूरदर्शी नेतृत्व में हो रहा मप्र भाजपा में संगठनात्मक पुनर्निर्माण

(पेज 1 का शेष)

हेमंत खंडेलवाल ने इस स्थिति को अनदेखा करने के बजाय समय रहते भांप लिया और बिना किसी शोर-शराबे के संगठनात्मक सुधार की प्रक्रिया शुरू की। यही वह बिंदु है जहाँ से मिशन 2028 की वास्तविक नींव रखी गई। इसके साथ ही बीजेपी का संगठन विजन 2028 के लिए अभी से तैयार हो गया है।

संगठनात्मक समन्वय और अनुशासन सबसे ऊपर

प्रदेश अध्यक्ष बनते ही खंडेलवाल ने यह सिद्ध कर दिया कि संगठन में स्थिति बनाए रखने की नहीं, बल्कि स्थिति सुधारने की आवश्यकता है। संगठन के द्वारा संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा को पद से हटाने का साहसिक निर्णय लिया गया। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि इसके साथ कई राजनीतिक और रणनीतिक समीकरण जुड़े हुए थे। हितानंद शर्मा, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के बीच बताए जा रहे रणनीतिक मतभेद संगठन के लिए दीर्घकालिक चुनौती बन सकते थे। खंडेलवाल ने इस संभावित टकराव को टालते हुए संगठन हित को सर्वोपरि रखा और स्पष्ट संदेश दिया कि पार्टी में व्यक्तिगत समीकरणों से ऊपर संगठनात्मक समन्वय और अनुशासन है। यह निर्णय भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच एक सकारात्मक संकेत के रूप में गया। वैसे भी हितानंद शर्मा की कार्यशैली संगठन को रास नहीं आ रही थी। उनमें संगठन शक्ति का अभाव हमेशा देखा गया है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि अब संगठन में जवाबदेही तय होगी और निर्णय योग्यता तथा समन्वय के आधार पर लिए जाएंगे।

संगठनात्मक सूझबूझ का उत्कृष्ट उदाहरण

प्रदेश में भाजपा जिला प्रभारियों का हालिया चयन खंडेलवाल की संगठनात्मक सूझबूझ का उत्कृष्ट उदाहरण है। इन नियुक्तियों में क्षेत्रीय संतुलन, कार्यकर्ता स्वीकार्यता, संगठनात्मक अनुभव और चुनावी क्षमता सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया। कहीं भी यह नहीं लगा कि निर्णय जल्दबाजी में या किसी एक गुट के दबाव में लिए गए हों। इससे संगठन के भीतर यह भरोसा मजबूत हुआ कि नेतृत्व निष्पक्ष है और सभी को समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। मिशन 2028 के तहत यह जमावट केवल चुनावी गणित तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संगठन के भीतर ऊर्जा के पुनर्संचार की प्रक्रिया है। आने वाले समय में निगम-मंडलों, विभिन्न आयोगों और अध्यक्ष पदों पर होने वाली नियुक्तियाँ इसी रणनीतिक दृष्टिकोण का हिस्सा हैं। लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे समर्पित कार्यकर्ताओं और अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी देकर संगठन को और अधिक सक्रिय तथा प्रतिबद्ध बनाने की तैयारी है। यह कदम न केवल संगठनात्मक संतुलन बनाएगा, बल्कि पार्टी के प्रति कार्यकर्ताओं के विश्वास को भी और मजबूत करेगा।

आशीष अग्रवाल ने किया मजबूत संचार तंत्र का निर्माण

पार्टी कार्यालय और मीडिया विभाग की सक्रियता भी इस पूरे सफलता का अहम हिस्सा है। आशीष अग्रवाल के नेतृत्व में भाजपा का मीडिया विभाग पूरी निपुणता और पेशेवर तरीके से कार्य कर रहा है। संगठन की गतिविधियों, नेतृत्व के संदेश और सरकार की उपलब्धियों को जिस स्पष्टता और अनुशासन के साथ जनता तक पहुँचाया जा रहा है, वह प्रदेश अध्यक्ष की रणनीति और सोच को ही दर्शाता है। मीडिया और संगठन के बीच बेहतर समन्वय पार्टी के लिए एक मजबूत संचार तंत्र का निर्माण कर रहा है। आशीष अग्रवाल को मीडिया की जिम्मेदारी देना भी खंडेलवाल की दूरदर्शिता का परिणाम है।

अजय जामवाल और शैलेन्द्र बरूआ को मिली है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

नए संगठन महामंत्री के नाम की घोषणा होने तक प्रदेश संगठन की जिम्मेदारी अजय जामवाल को सौंपना भी संगठन की व्यावहारिक सोच को दर्शाता है। अजय जामवाल का मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में राजनीतिक अनुभव और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल संगठन के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है। इस अस्थायी व्यवस्था के बावजूद संगठन में कहीं भी शून्यता या भ्रम की स्थिति नहीं बनने दी गई, जो मजबूत नेतृत्व का स्पष्ट संकेत है। वहीं शैलेन्द्र बरूआ को भी बीजेपी उपाध्यक्ष बनाया गया है। बरूआ संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। खंडेलवाल का नेतृत्व भाजपा मध्यप्रदेश में स्थिरता, संवाद और दूरदृष्टि का संतुलित उदाहरण बन चुका है। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि संगठन को मजबूती देने के लिए केवल भाषण नहीं, बल्कि समय पर लिए गए सटीक निर्णय आवश्यक होते हैं। मिशन 2028 उनके लिए केवल एक चुनावी लक्ष्य नहीं, बल्कि एक संगठित, अनुशासित और कार्यकर्ता-केंद्रित भाजपा के निर्माण का संकल्प है। कहा जा सकता है कि मध्यप्रदेश भाजपा आज जिस आत्मविश्वास और संगठनात्मक स्पष्टता के साथ आगे बढ़ रही है, उसके मूल में हेमंत खंडेलवाल का शांत, परंतु निर्णायक नेतृत्व है। यदि यही दिशा और गति बनी रही, तो मिशन 2028 केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि भाजपा की एक और ऐतिहासिक सफलता की कहानी बन सकता है।

सम्पादकीय

पुस्तक पर प्रस्तुत अंशों पर राजनीति कितना सही कदम है

हाल ही में पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणे की पुस्तक फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर संसद में उठा विवाद नागरिक-सैन्य संबंधों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक संवेदनशीलता जैसे कई गंभीर प्रश्नों को एक साथ सामने ले आया है। यह विवाद केवल एक संस्मरण की सामग्री तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस व्यापक बहस का हिस्सा बन गया है कि सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति की सीमा क्या होनी चाहिए और राजनीतिक दलों को ऐसे मुद्दों पर किस स्तर की संयमशीलता बरतनी चाहिए। पुस्तक में पूर्व सेना प्रमुख ने अपने कार्यकाल के अनुभवों, सीमावर्ती चुनौतियों, नीति-निर्माण की जटिलताओं और राजनीतिक-सैन्य समन्वय के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला है। स्वाभाविक रूप से, जब कोई उच्च पद पर रहा अधिकारी अपने अनुभव सार्वजनिक करता है, तो उसमें नीतिगत निर्णयों और उस समय की सरकार की कार्यशैली के संदर्भ भी आते हैं। यही बिंदु संसद में विवाद का कारण बना। कुछ सांसदों ने आरोप लगाया कि पुस्तक के कुछ अंश संवेदनशील मुद्दों को उजागर करते हैं, जबकि अन्य ने इसे लोकतांत्रिक पारदर्शिता का हिस्सा बताया।

यह बहस लोकसभा और राज्य सभा दोनों सदनों में प्रतिध्वनित हुई। विपक्ष ने सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की कि क्या पुस्तक में वर्णित घटनाएं आधिकारिक नीति-निर्माण से मेल खाती हैं। वहीं, सत्तापक्ष ने इसे एक सेवानिवृत्त अधिकारी की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति बताते हुए अनावश्यक राजनीतिकरण का आरोप लगाया। इस प्रकार, एक साहित्यिक कृति संसदीय टकराव का विषय बन गई। मूल प्रश्न यह है कि क्या सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी अपने अनुभव साझा करने के अधिकार से वंचित हैं? लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मूल अधिकार है। जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय सूचनाओं का उल्लंघन नहीं करता, तब तक उसके विचारों को सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा माना जाना चाहिए। पूर्व सेना प्रमुख का दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से उनके अनुभवों से निर्मित होगा, और उससे असहमति होना लोकतांत्रिक अधिकार है, किंतु असहमति को विवाद और आरोप-प्रत्यारोप का रूप देना स्वस्थ परंपरा नहीं है।

दूसरी ओर, यह भी सत्य है कि सेना जैसे अनुशासित संस्थान की निष्पक्षता और राजनीतिक तटस्थता लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। भारतीय सेना की विश्वसनीयता इसी बात पर टिकी है कि वह राजनीतिक बहसों से ऊपर रहती है। ऐसे में यदि किसी संस्मरण की व्याख्या राजनीतिक चश्मे से की जाती है, तो अनावश्यक ध्रुवीकरण की आशंका बढ़ जाती है। यह जिम्मेदारी केवल लेखक की नहीं, बल्कि राजनीतिक वर्ग और मीडिया की भी है कि वे संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं।

संसद में उठे इस विवाद ने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को जन्म दिया है। क्या हम संस्थागत अनुभवों को दस्तावेजित करने की परंपरा को प्रोत्साहित करना चाहते हैं या हतोत्साहित? विकसित लोकतंत्रों में सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी अपने संस्मरणों के माध्यम से नीति-निर्माण की पृष्ठभूमि और चुनौतियों को सार्वजनिक करते हैं, जिससे इतिहास का अधिक समग्र लेखा-जोखा तैयार होता है। भारत में भी इस परंपरा का विकास होना चाहिए, बशर्ते राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की मर्यादाओं का पालन हो। यह भी ध्यान देने योग्य है कि किसी पुस्तक पर संसदीय विवाद का सीधा प्रभाव सार्वजनिक विमर्श पर पड़ता है। जब किसी विचार को लेकर तीखी प्रतिक्रिया होती है, तो वह अक्सर मूल विषय से ध्यान हटाकर राजनीतिक लाभ-हानि की गणना तक सीमित हो जाता है। इससे न तो संस्थाओं का सम्मान बढ़ता है और न ही लोकतांत्रिक संवाद की गुणवत्ता सुधरती है।

अंतत यह प्रकरण हमें संयम, संतुलन और परिपक्वता की सीख देता है। एक सेवानिवृत्त सेना प्रमुख की पुस्तक को आलोचना और चर्चा के दायरे में अवश्य रखा जाना चाहिए, किंतु उसे राजनीतिक हथियार बनाना लोकतांत्रिक गरिमा के अनुकूल नहीं है। संसद को विचार-विमर्श का मंच बने रहना चाहिए, न कि साहित्यिक अभिव्यक्तियों पर टकराव का अखाड़ा। यदि हम इस संतुलन को साध सकें, तो यह विवाद भी लोकतंत्र की परिपक्वता का प्रमाण बन सकता है, न कि उसकी कमजोरी का।

सियासी गहमागहमी

क्या मोहन सरकार में भी तबादला उद्योग हुआ शुरू?

यह प्रश्न कम, हमारे लोकतंत्र की पुरानी फाइलों से उठती हुई परिचित सरसराहट ज्यादा लगता है। सरकार बदली नहीं कि सबसे पहले कुर्सियों के पेंच ढीले होने लगते हैं। अफसरशाही की दुनिया में तबादला अब प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, मौसम विज्ञान का हिस्सा हो गया है जैसे ही सत्ता का तापमान बदलता है, तबादलों की आंधी चल पड़ती है। मोहन सरकार आई तो लोगों ने सोचा था कि 'व्यवस्था परिवर्तन' होगा। लेकिन लगता है व्यवस्था ने ही सरकार का स्वागत अपने पारंपरिक तरीके से किया "पहले सूची बनाओ, फिर सूची बदलो, फिर बदली की सूची पर भी पुनर्विचार करो।" जिलों में अफसरों के मोबाइल पर घंटियां ऐसे बजने लगीं जैसे रिजल्ट का दिन हो कौन पास, कौन ट्रांसफर। तबादला उद्योग की खासियत यह है कि इसमें उत्पादन नहीं, केवल स्थान परिवर्तन होता है। फाइल वही, टेबल वही, कुर्सी वही बस नामपट्टिका बदल जाती है। जनता को समझाया जाता है कि यह 'प्रशासनिक आवश्यकता' है। जनता भी समझदार है, वह जानती है कि आवश्यकता किसकी है प्रशासन की, राजनीति की या 'व्यवस्था' की। कहते हैं अच्छे शासन में स्थिरता जरूरी होती है, लेकिन यहां स्थिर केवल अफवाहें रहती हैं। अफसर अपना बोरिया-बिस्तर आधा पैक रखकर काम करते हैं कभी भी आदेश आ सकता है। और आदेश ऐसा कि न पूछो क्यों, न बताओ कब तक।

कौन बनेगा मप्र में नया संगठन मंत्री अटकलें हुई तेज

यह सवाल इन दिनों राजनीतिक गलियारों में सबसे अधिक गूंज रहा है। संगठन मंत्री का पद भले ही सार्वजनिक मंचों पर अधिक दिखाई न दे, परंतु पार्टी की आंतरिक संरचना में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह पद केवल नियुक्ति नहीं, बल्कि रणनीतिक संकेत भी होता है। मध्यप्रदेश जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में संगठन मंत्री का चयन आगामी चुनावी रणनीति, क्षेत्रीय संतुलन और केंद्रीय नेतृत्व की प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करता है। माना जा रहा है कि नया चेहरा ऐसा होगा जो संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर सके। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में जहां जमीनी कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखना और गुटीय संतुलन साधना बड़ी चुनौती है, वहां संगठन मंत्री की भूमिका और भी निर्णायक हो जाती है। सूत्रों के अनुसार, अनुभव, वैचारिक प्रतिबद्धता और संगठनात्मक कौशल- इन तीन मानकों पर नामों पर विचार हो रहा है। अटकलों का दौर स्वाभाविक है, किंतु अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व के रणनीतिक आकलन पर निर्भर करेगा।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

नरेंद्र "surrender" मोदी ने भारत के किसानों के साथ विश्वासघात किया है - और किसान यह बात समझ चुके हैं।
यह सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि हमारे अन्नदाताओं की आजीविका पर सीधा हमला है।
संसद में आज किसान यूनियनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में उनकी पीड़ा साफ दिखी।

-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है। यह सिर्फ एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि करोड़ों नागरिकों के विश्वास, अधिकार और भागीदारी का प्रतीक है। लेकिन जब मतदाता सूची से नाम काटने, सामूहिक आपत्तियों और कथित फर्जी फॉर्मों की खबरें सामने आती हैं, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या मतदान का अधिकार सुरक्षित है।

-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

ज्ञानी जैल सिंह ने दृढ़ इच्छाशक्ति, सेवा-भाव और निष्ठा के बल पर ऊंचाई प्राप्त की

समता पाठक/जगत प्रवाह

ज्ञानी जैल सिंह भारतीय राजनीति के उन विरले व्यक्तित्वों में गिने जाते हैं, जिन्होंने साधारण पृष्ठभूमि से उठकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक का सफर तय किया। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और राजनीतिक दृढ़ता का प्रेरक उदाहरण है। जैल सिंह का जन्म 5 मई 1916 को पंजाब के फरीदकोट जिले के संधवां गाँव में हुआ। उनका मूल नाम जरनैल सिंह था। वे एक साधारण किसान परिवार से थे। प्रारम्भिक शिक्षा उन्होंने गुरुद्वारे में धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन से प्राप्त की। सिख धर्मग्रंथों में उनकी गहरी आस्था और विद्वत्ता के कारण उन्हें "ज्ञानी" की उपाधि मिली, और तब से वे ज्ञानी जैल सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुए। औपचारिक शिक्षा सीमित होने के बावजूद उनकी ज्ञान-पिपासा और वाक्-कौशल अद्भुत था। युवावस्था में ही वे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। फरीदकोट रियासत में उन्होंने प्रजा मंडल आंदोलन का नेतृत्व किया और अंग्रेजी शासन तथा स्थानीय राजशाही के विरुद्ध आवाज उठाई। इसके कारण उन्हें कई बार कारावास भी झेलना पड़ा। उनका संघर्ष केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना भी उनका उद्देश्य था।

स्वतंत्रता के बाद वे सक्रिय राजनीति में आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े। 1972 में वे पंजाब के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने राज्य के औद्योगिक और कृषि विकास पर विशेष बल दिया। उनके कार्यकाल में कई विकास योजनाएँ प्रारम्भ हुईं, जिनसे पंजाब की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। वे जनसंपर्क में अत्यंत कुशल थे और आम लोगों से सीधे संवाद स्थापित करने में विश्वास रखते थे। 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें केंद्र सरकार में गृहमंत्री नियुक्त किया। गृहमंत्री के रूप में उन्होंने आंतरिक सुरक्षा और प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान दिया। यह समय देश के लिए राजनीतिक रूप से संवेदनशील था, विशेषकर पंजाब में बढ़ते उग्रवाद के संदर्भ में। जैल सिंह ने परिस्थिति को संतुलित ढंग से संभालने का प्रयास किया।

1982 में वे भारत के सातवें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और इस प्रकार वे देश के प्रथम सिख राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति पद पर उनका कार्यकाल (1982–1987) कई महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ा रहा। 1984 में पंजाब में उग्रवाद की स्थिति के कारण ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। उसी वर्ष प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या भी हुई। इन कठिन परिस्थितियों में उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए देश को स्थिरता प्रदान करने का प्रयास किया। उन्होंने तत्पश्चात Rajiv Gandhi को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल कुछ विवादों से भी घिरा रहा। विशेषकर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ उनके संबंधों में खटास की चर्चाएँ रहीं। फिर भी उन्होंने संविधान की गरिमा बनाए रखी और अपने पद की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया। जैल सिंह का व्यक्तित्व सरल, विनम्र और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वे सादगीपूर्ण जीवन जीते थे और आम जनता से जुड़ाव बनाए रखते थे। उनकी वाणी में प्रभावशीलता थी, जिससे वे लोगों के हृदय को स्पर्श कर लेते थे। उन्होंने सदैव राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सर्वोपरि माना।

25 दिसंबर 1994 को एक सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद 25 दिसंबर 1994 को ही उनका निधन हो गया। उनके निधन से भारतीय राजनीति ने एक अनुभवी और समर्पित नेता को खो दिया। ज्ञानी जैल सिंह का जीवन यह दर्शाता है कि दृढ़ इच्छाशक्ति, सेवा-भाव और निष्ठा के बल पर व्यक्ति किसी भी ऊँचाई को प्राप्त कर सकता है। वे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सदैव एक कर्मठ, संघर्षशील और कर्तव्यनिष्ठ नेता के रूप में स्मरण किए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दो मामलों में लिया बड़ा फैसला

कटघरे में छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा और डीजीपी अरुण देव गौतम की कार्यशैली।

क्या गृह विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग मुख्यमंत्री के पास होना चाहिए?

-विजया पाठक

हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दो बड़े मामलों पर अपना फैसला सुनाया है। दोनों ही मामले पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही गृहमंत्री विजय शर्मा और डीजीपी छत्तीसगढ़ अरुण देव गौतम की कार्यशैली कटघरे में खड़ी हो गई है। क्योंकि कहीं न कहीं पुलिस विभाग का मुखिया होने के नाते विजय शर्मा औश्र गौतम की जिम्मेदारी बनती है कि वह विभागीय कार्यों में पारदर्शिता पर ध्यान दें और अनियमित कार्यों को बढ़ावा न दें।

छत्तीसगढ़ में हुए बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन में साहसिक भूमिका निभाने वाले पुलिस जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने में भेदभाव करने का आरोप लगा है। इस आपरेशन में शामिल 03 जवानों को प्रमोशन का लाभ नहीं दिया गया। दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने DGP को दो महीने के भीतर निराकरण करने का आदेश दिया है।

दरअसल, कांकेर जिले में पदस्थ पुलिस जवान दीपक कुमार नायक, अग्नु राम कोर्राम और संगीत भास्कर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जिसमें उन्होंने बताया कि 15 और 16 अप्रैल 2024 को बीएसएफ के साथ संयुक्त रूप से चलाए गए। बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन में तीनों जवान शामिल थे। यह ऑपरेशन कांकेर जिले के कालपर-हापाटोला-छेटेबेठिया क्षेत्र में हुआ, जहां 40-50 सशस्त्र माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। इस कार्रवाई में 29 सशस्त्र नक्सली मारे गए, जिनमें 15 पुरुष और 14 महिलाएं शामिल थीं। साथ ही बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी जब्त किया गया।

केवल 54 पुलिसकर्मियों को मिला प्रमोशन

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि इस सफल ऑपरेशन में कुल 187 पुलिसकर्मी शामिल थे, लेकिन शासन ने केवल 54 पुलिसकर्मियों को ही पुलिस विनियम 70 (क) के तहत आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का लाभ दिया। जबकि, याचिकाकर्ता भी समान परिस्थितियों में ऑपरेशन का हिस्सा थे। इसी भेदभाव से आहत होकर उन्होंने 25 जून 2025 को पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज के समक्ष प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया, जो अब तक लंबित है।

हाईकोर्ट ने कहा- दो माह में निराकरण करें DGP

हाईकोर्ट ने माना कि, याचिकाकर्ताओं का दावा अभी सक्षम प्राधिकारी के सामने विचाराधीन है। ऐसे में कोर्ट ने इस स्तर पर सीधे पदोन्नति का आदेश न देकर, प्रतिनिधित्व के जल्द निराकरण करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि, पुलिस महानिदेशक याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व पर पुलिस विनियम 70 (क) के अनुसार कानून के अनुसार निष्पक्ष निर्णय लें। यह निर्णय दो महीने के भीतर किया जाए। यदि याचिकाकर्ताओं का मामला उन 54 पदोन्नत पुलिसकर्मियों के समान पाया जाता है, तो उनकी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की प्रक्रिया भी शुरू की जाए। एंटी नक्सल ऑपरेशन अप्रैल 2024 में हुआ। प्रमोशन विवाद और प्रतिनिधित्व (25 जून 2025) के समय DGP अरुण देव गौतम पद पर थे।

पुलिस आरक्षक भर्ती पर HC का फैसला, 6 हजार पदों की नियुक्तियां स्थगित

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरक्षक भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी है। कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी। भर्ती में गड़बड़ी को लेकर याचिका लगाई गई थी। भर्ती में गड़बड़ियों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने 6 हजार पदों पर हो रही आरक्षक भर्ती के तहत नई नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी है। दरअसल, पुलिस विभाग की ओर से प्रदेश के सभी जिलों में आरक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए लिखित एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि भर्ती प्रक्रिया पूरे प्रदेश के लिए एक ही सेंट्रलाइज्ड विज्ञापन के माध्यम से संचालित की जा रही है और सभी जिलों में शारीरिक परीक्षा कराने वाली आउटसोर्स कंपनी भी एक ही है। जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन शामिल थे। हालांकि नियुक्ति पत्र जारी किए गए, लेकिन कई अभ्यर्थियों ने अनियमितताओं और पक्षपात के आरोप लगाए।ऐसे में आशंका जताई गई कि बिलासपुर की तरह राज्य के अन्य केंद्रों पर भी धांधली हुई हो सकती है। इस पूरे विवाद में यह सवाल उठता है कि DGP के रूप में वरिष्ठ अधिकारी अरुण देव गौतम की जिम्मेदारी क्या थी। DGP छत्तीसगढ़ पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। भर्ती प्रक्रिया में उनका प्रशासनिक और निगरानी का दायित्व है।

2500 लोगों को जारी हो गए हैं नियुक्ति पत्र

कुल 6 हजार पदों में से अब तक लगभग 2,500 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती 2025 का आवेदन ऑनलाइन 05 अगस्त 2025 से शुरू हुआ था और इसका आख़िरी दिन 27 अगस्त 2025 तय किया गया था। अरुण देव गौतम को 04 फरवरी 2025 को छत्तीसगढ़ का कार्यवाहक DGP नियुक्त किया गया था। DGP प्रक्रिया की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारी हैं, इसलिए उनका नाम प्रशासनिक जिम्मेदारी के संदर्भ में आता है। DGP प्रक्रिया की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारी हैं, इसलिए उनका नाम प्रशासनिक जिम्मेदारी के संदर्भ में आता है। कानूनी रूप से सीधे घोटाले के आरोपी नहीं हैं। हाईकोर्ट द्वारा जारी नियुक्तियों पर रोक और अगली सुनवाई यह सुनिश्चित करेगी कि योग्य उम्मीदवारों को सही अवसर मिले और नियमों का पालन हो।

भर्ती प्रक्रिया पर विरामः पारदर्शिता की कसौटी

दूसरा महत्वपूर्ण फैसला पुलिस आरक्षक भर्ती से संबंधित है, जिसमें लगभग 6 हजार पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी। अनियमितताओं और संभावित पक्षपात के आरोपों के बाद अदालत ने नई नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी। भर्ती प्रक्रिया राज्यभर में एक केंद्रीकृत विज्ञापन और एक ही आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से संचालित की गई थी। लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन जैसे चरण पूरे होने के बाद भी कई अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। करीब 2,500 नियुक्ति पत्र जारी होने के बावजूद अदालत का हस्तक्षेप यह दर्शाता है कि भर्ती केवल संख्या का प्रश्न नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण अवसर का विषय है। छत्तीसगढ़ में आए ये दो फैसले उसी मानक की पुनर्स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। अब निगाहें प्रशासनिक निर्णयों और आगामी सुनवाई पर टिकी हैं, जो तय करेगी कि न्याय का संदेश व्यवहार में कितना उतरता है।

सनातन विज्ञान-शिवरात्रि 15 फरवरी पर विशेष

अर्ध-नारीश्वर-शिव का भौतिक महत्व

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

अमेरिका के विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के भौतिकशास्त्री प्रो. जॉर्ज और तंत्रशास्त्र की प्रोफेसर डॉ. कैथी भगवान शिव के अर्ध-नारीश्वर स्वरूप की कल्पना में धनात्मक और ऋणात्मक गुणों के प्रतीक देखते हैं। शिव जो ऊर्जा के देवता हैं, वह धनात्मक गुण और पार्वती जो प्रकृति की उर्वरा शक्ति हैं, वे ऋणात्मक गुण की प्रतीक हैं। इसे ही सापेक्षता सिद्धांत के रूप में भौतिक विज्ञानियों ने देखा है। दरअसल, प्रकाश में कण और तरंग एक साथ समाहित रहते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रान भी एक कण और एक तरंग का रूप धारण कर लेता है। सापेक्षता का सिद्धांत इन स्वरूपों को साकार करता है, क्योंकि ये एक ही शक्ति के दो स्वरूप हैं। शिव और पार्वती का समन्वित रूप अर्ध-नारीश्वर भी इसी सिद्धांत को भौतिक रूप में प्रतिबिंबित करता है।

शिव की उपस्थिति ऋग्वेद में रुद्र के रूप में है, परंतु अन्य वेदों और पुराणों में इन्हीं रुद्र शिव की कल्पना एक ऐसे रूप में की गई है, जिसका आधा शरीर स्त्री तथा आधा पुरुष का है। शिव के इस स्त्री मिश्रित शरीर को हम अर्ध-नारीश्वर नाम से जानते हैं। शिव-पुराण के अनुसार शिव के इस रूप-विधान में पुरुष को ब्रह्मात्मक मानकर, ब्रह्म से भिन्न उसकी शक्ति माया को स्त्री के आधे रूप में चित्रित किया गया है। शिव का रूप अग्नि एवं सोम अर्थात सूर्य एवं चंद्रमा के सम्मिलन का भी रूप है। यानी पुरुष का अर्धांश सूर्य और स्त्री का अर्धांश चंद्रमा के प्रतीक हैं। सृष्टि के आरंभ में फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन शिव और शक्ति-रूपा पार्वती उत्पन्न हुए थे।

अर्ध-नारीश्वर के संदर्भ में जो कथा प्रचलन में है, वह है, जब ब्रह्मा ने सृष्टि के विधान को आगे बढ़ाने की बात सोची और इसे साकार करना चाहा, तो उन्हें इसे, अकेले पुरुष रूप से आगे बढ़ाना संभव नहीं लगा। तब उन्होंने शिव को बुलाकर अपना मंतव्य प्रगट किया। शिव ने ब्रह्मा के मूल भाव को समझते हुए उन्हें अर्ध-नारीश्वर में दर्शन दिए। अर्थात स्त्री और पुरुष के सम्मिलन से सृष्टि के विकास की कल्पना दी। यह भी माना जाता है कि जब बरसात में बिजली दमकती है, तब उसकी रेखामयी आकृति अर्ध-नारीश्वर संरचना जैसी दिखती है। इस सूत्र के हाथ लगने के बाद ही ब्रह्मा ने सृष्टि के क्रम को निरंतर गतिशील बनाए रखने का विधान रचा।

सच्चाई भी है कि स्त्री व पुरुष का समन्वय ही सृष्टि का वास्तविक विधान है। इसीलिए स्त्री को प्रकृति का प्रतीक माना है। अर्थात प्रकृति में जिस तरह से सृजन का क्रम जारी रहता है, मनुष्य-योनी में उसी सृजन प्रक्रिया को स्त्री गतिशील बनाए हुए है। अर्ध-नारीश्वर यानी आधे-आधे रूपों में स्त्री और पुरुष की देहों का आत्मसात हो जाना। शिव-गौरी का यही वह महा-सम्मिलन है, जो सृष्टि के बीज को स्त्री की कोख, अर्थात प्रकृति की उर्वरा भूमि में रोपता है। सृष्टि का यह विकासक्रम अनवरत चलता रहे, इसीलिए सृष्टि के निर्माताओं ने इसमें आनंद की सुखानुभूति भी जोड़ दी है। सृष्टि के इस आदि-भूत मातृत्व व पितृत्व को पुराणों की प्रतीकात्मक भाषा में पार्वती-परमेश्वर या शिव-पार्वती कहा गया है। अर्थात शिव-शक्ति के साथ संयुक्त होकर अर्ध-नारीश्वर बन जाते हैं। इसलिए शिव से कहलाया है कि शक्ति यानी स्त्री को स्वीकार किए बिना पुरुष अपूर्ण है। स्त्री के बिना कोई कल्पना फलित नहीं हो सकती। अतएव पुरुष रूपी शिव और प्रकृति रूपी स्त्री जब अर्ध-नारीश्वर के रूप में एकाकार होते हैं तो सभी भेद और विकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। अर्थात जब पति-पत्नी के रूप में स्त्री-पुरुष एक दूसरे को आंतरिक रूप से तृप्त करते हैं, तभी अर्ध नारीश्वर स्वरूप सार्थक होता है जीव रुपी सृष्टि का क्रम अनवरत रहता है। अतएव काम-भाव को धिक्कारना और योनि को नर्क का द्वार कहना जैसी उलाहनाएं शिव के अर्ध-नारीश्वर रूप की अवमानना है। वैसे भी मानव काया में काम का जो भाव है, वह मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम भाव नहीं है,वह स्त्री और पुरुष की प्राकृतिक प्रक्रिया है।

महंत या सिंहदेव के हाथ में हो कमान तो वापसी कर सकती है कांग्रेस

(पेज 1 का शेष)

कुशल नेतृत्व न होने से पार्टी बिखरने लगी है। लोगों के बीच भी पकड़ कमजोर हो गई है। भूपेश बघेल की दागदार छवि ने प्रदेश से कांग्रेस का बंटाधार कर दिया है। यही वह समय है जब प्रदेश में फिर से पार्टी को खड़ा किया जा सकता है। 2028 में अभी तीन साल का समय है। इन तीन साल में बेहतर और प्रभावी नेतृत्व कांग्रेस की वापसी करा सकता है। प्रदेश में डॉ. चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव जैसे अनुभवी और बेदाग छवि के नेता मौजूद हैं, जो अपने दमखम से पार्टी को जिंदा करने की काबिलियत रखते हैं।

महंत या सिंहदेव को मौका मिले तो स्थिति अलग होगी

डॉ. चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव- प्रदेश में दो ऐसे चेहरे हैं जो अपने दम पर कांग्रेस को जिंदा कर सकते हैं और सत्ता में वापसी करवा सकते हैं। यह छत्तीसगढ़ की राजनीति में अनुभवी और भरोसेमंद नाम हैं। यह दोनों सरल स्वभाव, स्पष्ट सोच और मजबूत संसदीय अनुभव के लिए जाने जाते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष में रहकर इन्होंने हर भूमिका को गरिमा के साथ निभाया है। इनकी गिनती कांग्रेस पार्टी के अनुभवी और संतुलित नेतृत्व में होती है। सदन की मर्यादा, लोकतांत्रिक मूल्यों और निष्पक्ष निर्णयों के लिए उन्हें व्यापक सम्मान प्राप्त है। उनका पद और प्रतिष्ठा अनुभव, विश्वास और गरिमा का प्रतीक है। अब प्रदेश में महंत और सिंहदेव से बेहतर कोई विकल्प अब बचा नहीं है।

महंत के पास है व्यापक जनाधार

चरणदास महंत वे नेता हैं जिनके पास जनता का पर्याप्त जनाधार है। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों को साथ लेकर चलने का माद्दा रखते हैं। इसका सबसे बड़ा परिणाम है कि सिंहदेव ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों द्वारा किये जा रहे बघेल के विद्रोह को स्वतः आगे आकर संभाला और पार्टी की छवि को धूमिल होने से बचाया था। चरणदास महंत भी बेहद लोकप्रिय नेता हैं। यही कारण कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास अगर कोई लोकसभा सीट आई तो वह उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत की सीट थी। क्योंकि इस सीट पर न सिर्फ ज्योत्सना ने बल्कि चरणदास महंत ने भी जमीनी स्तर पर लोगों से संपर्क साधा और जनाधार पाने में सफलता प्राप्त की।

अभी भी समय है संभलने का, नेतृत्व परिवर्तन पर विचार करे हाईकमान

हम सभी ने भूपेश बघेल के हिटलरशाही रवैये को बहुत करीब से देखा है। ऐसे में कोई भी कार्यकर्ता अब उनके नेतृत्व में कार्य करने को इच्छुक नहीं है। हर कार्यकर्ता और पार्टी नेता अपने-अपने स्तर से पार्टी आलाकमान तक बघेल के कारनामों का पुल्लिंदा पहुंचा चुके हैं। ऐसे में अब वह समय आ गया है जब पार्टी आलाकमान को बघेल पर कोई कड़ा एक्शन लेकर किसी जिम्मेदार व्यक्ति को छत्तीसगढ़ में पार्टी की कमान सौंपनी चाहिए। इससे पार्टी का कल, आज और कल में अवश्य सुधार आने की अपेक्षा है। क्योंकि अगर अब नहीं संभले तो कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में दोबारा कभी नहीं संभल पाएगी। अभी भी समय है कि पार्टी हाईकमान नेतृत्व परिवर्तन पर विचार करे।

महंत जैसे अनुभवी नेताओं को मिली कमान तो छत्तीसगढ़ में वापस आ सकती है कांग्रेस

आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस को अनुभवी और जनाधार वाले नेताओं की जरूरत है। चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव जैसे अनुभवी और कर्मठ नेता यदि आज भी प्रदेश की कमान संभालते हैं तो निश्चित रूप से प्रदेश में कांग्रेस वापसी कर सकती है। क्योंकि आज भी प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार है। यदि इनको कमान सौंपी जाती है तो प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ शासन में आ सकती है। भूपेश बघेल ने जिस तरह से भ्रष्टाचार और अत्याचार किया है उसका ही परिणाम है कि वह सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन कहते है कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। पार्टी हाईकमान आज भी चाहे तो राज्य के नीति निर्धारक को बदलकर कांग्रेस को पुनः प्रदेश में काबिज कर सकते हैं।

2023 में कांग्रेस नहीं भूपेश बघेल हारे थे!

हमने 2023 का आमचुनाव करीब से देखा। चुनाव भूपेश बघेल के चेहरे पर लड़ा गया था। लेकिन चुनाव के पहले ही बघेल की छवि एक भ्रष्टाचारी, अत्याचारी और कदाचारी बन चुकी थी। बघेल द्वारा बोये गये भ्रष्टाचार के बीज का परिणाम पार्टी को पहले विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। आमजन के बीच यही संदेश गया कि यदि दोबारा बघेल सत्ता में आते हैं तो निश्चित ही उनकी तानाशाही और हावी हो जायेगी। इसीलिए लोगों ने उन्हें सत्ता से बाहर करने का निर्णय लिया। पार्टी हाईकमान अभी भी प्रदेश की कमान भ्रष्टाचारी और अनाचारी भूपेश बघेल को सौंप रखी है। बघेल ने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान एक ऐसी चंडाल चौकड़ी का निर्माण किया था जिसने शासन की योजनाओं में घोटाले-भ्रष्टाचार करने का निर्णय लिया।

फिर मानहानि के केस में घिरे बघेल

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह, भूपेश बघेल और गौरव गोगोई के खिलाफ 500 करोड़ के हर्जाने के लिए मानहानि का केस किया है। उन्होंने कहा कि तीनों नेताओं ने मेरे खिलाफ झूठे, गलत इरादे वाले और बदनाम करने वाले आरोप लगाए हैं। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के परिवार ने पूरे राज्य में लगभग 12,000 बीघा जमीन हड़प ली है। इसके साथ ही भूपेश बघेल एक बार फिर कानूनी दांवपेंच में उलझ चुके हैं। बघेल की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं।

बिना तालाब के पर्यावरण का संतुलन कैसे बनेगा?

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद

यदि हम प्रकृति के साथ अपने संबंधों की गहराई में झांकें, तो पाएंगे कि तालाब हमारे पर्यावरणीय तंत्र का एक अनिवार्य अंग हैं। ये सिर्फ जल के भंडार नहीं हैं, बल्कि जैव-विविधता के संरक्षण के लिए भी अत्यंत आवश्यक हैं। इनका महत्व पानी के संरक्षण से कहीं अधिक है। तालाब हमारे पर्यावरण के संतुलन में एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाते हैं। प्राचीन काल से ही तालाबों का उपयोग मानव समाज द्वारा किया जा रहा है। ये प्रकृति की अनुपम देन हैं जो वर्षा जल को संचित कर हमें निरंतर जल प्रदान करते हैं। इनका अस्तित्व न केवल मनुष्यों के लिए, बल्कि जलीय जीवों, पक्षियों और अन्य जीव-जंतुओं के लिए भी अत्यावश्यक है। ये तालाब जैव-विविधता के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल का काम करते हैं। हालांकि, आधुनिकीकरण और शहरीकरण की दौड़ में हमने इन तालाबों की उपेक्षा की है। अनियोजित निर्माण और औद्योगिक प्रदूषण ने इनके अस्तित्व को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया है। आज समाज और सरकार की अनदेखी के चलते वही तालाब इतिहास की वस्तु बनते जा रहे हैं। इसका अहम कारण व्यक्ति के स्वार्थ परक सोच और आधुनिक जीवनशैली है जिसने तालाबों की विलुप्ति में प्रमुख भूमिका निभाही है। ऐसे में, हमें इनके संरक्षण और पुनर्जीवन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

तालाबों के विलुप्त होने के कारण हजारों जीवों की प्रजातियां समाप्त हुई और हजारों पर विलुप्ति के संकट मंडरा रहा है। यदि हम आजादी के समय और उसके बाद के दौर में तालाबों की स्थिति पर नजर दौराएं तो पाते हैं कि आजादी के वक्त देश में तकरीबन चौबीस लाख तालाब थे जो आज सिमट कर केवल लगभग दो लाख सात सौ पन्द्रह ही रह गए हैं। गैर सरकारी सूत्र के अनुसार यह संख्या देश में अब मात्र एक डेढ़ लाख से ज्यादा नही रह गई है। हर वर्ष एक हजार जलस्रोत अपना वजूद खो रहे हैं। बीते दशकों से सूखे की मार झेलता बुंदेलखंड भी इससे अछूता नहीं है। वहां 9000 से भी अधिक तालाब थे। बीते 30 - 40 सालों में बचे 3294 तालाबों में से 2 हजार से ज्यादा तालाबों का तो आस्तित्व ही मिट गया है। यही हाल पटना जिले का है। यहां कुल मिलाकर 1007 तालाब थे, लेकिन आज उनमें से 342 का तो आस्तित्व ही नही है। तालाबों पर वहां अतिक्रमण हो चुके हैं। तालाबों पर दुकानें, मकान वगैरह बन गए हैं। तालाबों से अतिक्रमण हटाना एवं उनके जीर्णोद्धार करना बहुत आवश्यक है।

वर्तमान समय में, तालाबों का महत्व और भी बढ़ गया है। जलवायु परिवर्तन के इस युग में जहां एक ओर अत्यधिक वर्षा और बाढ़ की समस्याएं हैं, वहीं दूसरी ओर सूखे और जल की कमी की चुनौतियां भी हैं। इस परिस्थिति में, तालाब जल संरक्षण के लिए एक प्राकृतिक और प्रभावी समाधान प्रस्तुत करते हैं। ये वर्षा जल को संग्रहित कर भूजल स्तर को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त, तालाब पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में भी एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वे गर्मी के मौसम में आसपास के क्षेत्रों को ठंडा रखते हैं और वायुमंडलीय आर्द्रता को संतुलित रखने में सहायक होते हैं। तालाबों के आसपास का क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य और शांति का एक अद्भुत स्रोत भी होता है। समग्र रूप से, तालाब हमारे पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में निहित एक अमूल्य निधि हैं। इनका संरक्षण और सम्मान हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए, हम सब मिलकर इन जलाशयों की रक्षा करें और प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। तालाब न केवल हमें जीवन देते हैं, बल्कि हमारे पर्यावरण के संतुलन को भी स्थापित करते हैं। इनकी रक्षा और संवर्धन हमारे स्वयं के भविष्य की रक्षा और संवर्धन है

महाशिवरात्रिः आदि-प्रेम का शाश्वत उत्सव

कल दुनिया ने वेलेंटाइन डे मनाया, गुलाब, उपहार और वादों का एक दिन। लेकिन आज जब हम महाशिवरात्रि के महापर्व में प्रवेश करते हैं, तो एक गहरी अनुभूति होती है कि प्रेम केवल प्रदर्शन नहीं, बल्कि सृष्टि का आधार है। जहाँ एक ओर आधुनिक उत्सव प्रेम को एक भावनात्मक घटना की तरह प्रस्तुत करते हैं, वहीं महाशिवरात्रि हमें उस 'आदि-प्रेम' की याद दिलाती है, जिसने शून्य से सृष्टि का विस्तार किया। भारतीय चिंतन में प्रेम किसी क्षणिक आकर्षण का नाम नहीं, बल्कि शिव और शक्ति के शाश्वत एकत्व का प्रतीक है। यह केवल दांपत्य का उत्सव नहीं, बल्कि चेतना और प्रकृति के दिव्य मिलन का पर्व है।

आध्यात्मिक मिलनः जब वैराग्य ने गृहस्थ को स्वीकारा

महाशिवरात्रि को शिव-पार्वती विवाह का प्रतीक माना जाता है। किंतु यह विवाह केवल एक पौराणिक कथा नहीं; यह जीवन का गहन दार्शनिक संकेत है। हिमालय की पुत्री पार्वती का कठोर तप यह सिद्ध करता है कि प्रेम पाने से पहले स्वयं को साधना पड़ता है। प्रेम अधिकार नहीं, अर्जन है; आग्रह नहीं, आत्मरूपांतरण है। शिव पूर्ण वैरागी हैं - अचल, निर्विकार, समाधिस्थ। पार्वती पूर्ण संकल्प हैं - धैर्य, ऊर्जा और समर्पण की मूर्ति। जब यह दोनों मिलते हैं, तब प्रकट होते हैं कल्याणकारी रूप में। यह मिलन बताता है कि सच्चा प्रेम किसी को बदलता नहीं, बल्कि दोनों को पूर्ण बनाता है।

शिव-शक्तिः सृष्टि का दार्शनिक और वैज्ञानिक प्रतीक

भारतीय दर्शन ने हजारों वर्ष पूर्व जिस सत्य को प्रतीक रूप में व्यक्त किया, आधुनिक विज्ञान उसे अलग भाषा में समझाता है। पदार्थ और ऊर्जा का संतुलन ही ब्रह्मांड की गति का आधार है। इसी संतुलन को हमारे ऋषियों ने शिव और शक्ति के रूप में देखा। शिव स्थिर चेतना हैं अनंत, साक्षी, अचल। शक्ति गतिशील ऊर्जा हैं सृजन, स्पंदन और परिवर्तन की प्रेरणा। इन दोनों के बिना सृष्टि की कल्पना अधूरी है। अर्धनारीश्वर का स्वरूप केवल धार्मिक प्रतिमा नहीं, बल्कि यह संदेश है कि पुरुष और स्त्री, तर्क और भावना, स्थिरता और गति ये विरोध नहीं, पूरक हैं। संतुलन ही अस्तित्व का विज्ञान है।

महाशिवरात्रि का शास्त्रीय महत्व

शिवपुराण के अनुसार, इसी रात्रि में भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए अनादि और अनंत। यह रात्रि 'सिद्धि' की रात्रि मानी जाती है। चंद्रमा इस दिन क्षीण अवस्था में होता है, और भारतीय ज्योतिष में चंद्र मन का कारक है। इसलिए उपवास और जागरण केवल परंपरा नहीं, मन को अनुशासित करने की साधना है। उपवास का अर्थ है—विकारों से दूर रहना। जागरण का अर्थ है—अंतरात्मा में जागना। महाशिवरात्रि हमें बाहरी आडंबर से अधिक आंतरिक शुद्धि का संदेश देती है।

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

प्रेम की भारतीय परिभाषा

आज का युग संबंधों को सुविधाओं और शर्तों के आधार पर मापता है। ऐसे समय में शिव-पार्वती का संबंध एक प्रकाशस्तंभ की तरह खड़ा है।

- यह प्रेम स्वीकार्यता का है - जहाँ पार्वती ने शिव के विरक्त स्वरूप को अपनाया और शिव ने पार्वती के संकल्प को सम्मान दिया।

- यह प्रेम समानता का है- जहाँ अर्धनारीश्वर बनकर शिव स्वयं आधा स्त्रीत्व धारण करते हैं।

- यह प्रेम मृत्यु से परे है- सती से पार्वती तक की कथा समर्पण की निरंतरता का प्रतीक है।

सच्चा प्रेम वह नहीं जो संसार से पलायन करा दे; सच्चा प्रेम वह है जो संसार में रहकर भी व्यक्ति को उच्चतर बना दे।

समकालीन भारत के लिए संदेश

महाशिवरात्रि हमें यह स्मरण कराती है कि हमारी सभ्यता ने प्रेम को केवल रोमांस तक सीमित नहीं किया; उसे साधना, तप और आत्मविकास से जोड़ा। यह पर्व युवाओं को यह संदेश देता है कि संबंध केवल आकर्षण से नहीं चलते उनके लिए धैर्य, अनुशासन और परस्पर सम्मान आवश्यक है।

जब प्रेम वासना से ऊपर उठकर विशुद्धि बनता है, तभी वह शिवत्व की ओर ले जाता है। महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं; यह आत्मबोध का अवसर है। यह हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति के भीतर शिव भी हैं और शक्ति भी। जब हम अपने भीतर के वैराग्य और ऊर्जा, तर्क और संवेदना, स्थिरता और गतिशीलता का संतुलन साध लेते हैं, तभी जीवन में वास्तविक समरसता आती है। इस महाशिवरात्रि आइए, हम केवल मंदिरों में दीप न जलाएँ, बल्कि अपने भीतर चेतना का प्रकाश प्रज्वलित करें। क्योंकि प्रेम यदि शाश्वत है, तो वह बाहर नहीं। हमारे भीतर ही निवास करता है।

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25

प्रगतिशील युवा विकसित छत्तीसगढ़

खेल प्रोत्साहन योजना लागू, ओलंपिक विजेताओं के लिए **₹1-3 करोड़** का पुरस्कार और ग्रामीण क्षेत्रों में खेल ढांचे का विकास

सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट, लगभग **32,000 पदों** पर भर्ती

नवा रायपुर में क्रिकेट अकादमी की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को **7.96 एकड़** भूमि आवंटित

160 आईटीआई को मॉडल संस्थान में बदलने हेतु **₹484 करोड़** स्वीकृत

राज्य में युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए **उद्यम क्रांति** योजना

34 नगरीय निकायों में "नॉलेज बेस्ड सोसाइटी" **हेतु लाइट हाउस** निर्माण की पहल

R.O. No. : 13673/ 1

हमसे जुड़ने के लिए QR स्कैन करें

/ChhattisgarhCMO
/DPRChhattisgarh
www.dprcg.gov.in

सुशासन से समृद्धि की ओर

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)